कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001

Mail ID :***ukmssbdun@gmail.com***; Website : ***www.ukmssb.org***, Phone : ***0135-2665366***(O)

पत्र संख्याः उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 11 / 2023–24 / 552 दिनांकः 17 जून, 2023

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत नर्सिंग अधिकारी (महिला / पुरुष) के रिक्त 1564 पदों पर अभिलेख सत्यापन हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदनों के निस्तारण के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी पत्र संख्या उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 27 / 2022–23 / 450, दिनांकः 15 मई, 2023 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत नर्सिंग अधिकारी (महिला / पुरुष) के रिक्त 1564 पदों पर अभिलेख सत्यापन हेतु आमत्रित अभ्यर्थियों के लिए दिशा–निर्देश तथा अभिलेख सत्यापन कलैण्डर जारी किया गया था।

दिनांक 31 मई 2023 से 28 जून 2023 तक आयोजित किये जाने वाले नर्सिंग अधिकारी (महिला / पुरुष) अभिलेख सत्यापन में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा मेल / पत्र / दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वे उन वर्ष के अन्तर्गत आते है जिन्हे बोर्ड द्वारा वर्षवार योग्यताक्रम में, जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री / डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो, के आधार पर श्रेणी–उपश्रेणीवार के अनुसार आमंत्रित किया गया है, परन्तु उनके द्वारा भरे गये आवेदन पत्र में डिग्री / डिप्लोमा उत्तीर्ण वर्ष गलत अंकित हो गया है, और जिस कारण से उन्हे अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है एवं उन्हे अभिलेख सत्यापन हेतु प्रवेश पत्र भी जारी नहीं किया गया है।

बोर्ड द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी, यदि अभिलेख सत्यापन हेतु दावा करते है, और आवेदन पत्र में अंकित डाटा के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित वर्षवार के अनुसार सम्बन्धित वर्ष, सम्बन्धित श्रेणी / उपश्रेणी से सम्बन्ध रखते हैं, ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 30 जून 2023 को अधोलिखित तालिका के अनुसार वांछित अभिलेखों के साथ कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित हो सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे बोर्ड द्वारा प्रवेश पत्र जारी किये गये थे परन्तु प्रवेश पत्र के अनुसार अभिलेख सत्यापन दिवस में बिना किसी पूर्व सूचना के समुचित कारण बताये बिना अनुपस्थित रहे, तो उन्हे अभिलेख सत्यापन हेतु उक्त तिथि को पुनः अवसर नहीं दिया जायेगा। इसके उपरान्त किसी भी प्रकार के दावे / प्रत्यावेदन / प्रार्थना पत्र पर स्वीकार / विचार नहीं किया जायेगा।

उदाहरणः– यदि किसी नर्सिग अधिकारी (डिप्लोमाधारक / डिग्रीधारक) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरते समय उत्तीर्ण वर्ष के कॉलम में 2014 अंकित कर लिया गया है और जबकि वे वर्ष 2010 में उत्तीर्ण हुए हों और उन्हे उनके डाटा के अनुसार अभिलेख सत्यापन के लिए प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया। ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 30 जून 2023 को प्रातः कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में अभिलेख सत्यापन हेतु आ सकते हैं।

क्र0 सं0	पदनाम तथा पदकोड	डिप्लोमा / डिग्री उत्तीर्ण वर्ष
1	नर्सिंग अधिकारी (महिला) डिप्लोमाधारक– 101	• वर्ष 1999 से वर्ष 2012 तक उत्तीर्ण अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी • वर्ष 1999 से वर्ष 2017 तक उत्तीर्ण आर्थिक रुप से कमजोर श्रेणी अभ्यर्थी। • वर्ष 1999 से वर्ष 2015 तक उत्तीर्ण अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी अभ्यर्थी।

क्र0 सं0	पदनाम तथा पदकोड	डिप्लोमा/डिग्री उत्तीर्ण वर्ष
		• वर्ष 1999 से वर्ष 2017 अनुसूचित जाति श्रेणी अभ्यर्थी • वर्ष 1999 से वर्ष 2015 तक उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी। • वर्ष 1999 से 2020 तक उत्तीर्ण केवल अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत दिव्यांगजन उपश्रेणी अभ्यर्थी। • वर्ष 1999 से 2021 तक उत्तीर्ण केवल अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत पूर्व सैनिक उपश्रेणी अभ्यर्थी। • वर्ष 1999 से 2017 तक केवल उत्तीर्ण अनारक्षित के अन्तर्गत स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित उपश्रेणी अभ्यर्थी • वर्ष 1999 से 2020 तक केवल उत्तीर्ण अनारक्षित के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे उपश्रेणी अभ्यर्थी • वर्ष 1999 से 2020 तक उत्तीर्ण केवल आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत दिव्यांगजन अभ्यर्थी। • वर्ष 1999 से 2022 तक उत्तीर्ण केवल अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत पूर्व सैनिक उपश्रेणी अभ्यर्थी। • वर्ष 1999 से 2019 तक उत्तीर्ण केवल अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित • वर्ष 1999 से 2019 तक उत्तीर्ण केवल अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत दिव्यांगजन उपश्रेणी अभ्यर्थी। • वर्ष 1999 से 2020 तक उत्तीर्ण केवल अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत पूर्व सैनिक उपश्रेणी अभ्यर्थी। • वर्ष 1999 से 2022 तक केवल उत्तीर्ण अनुसूचित जाति के अन्तर्गत स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित उपश्रेणी अभ्यर्थी
2	नर्सिंग अधिकारी (महिला) डिग्रीमाधारक– 102	• वर्ष 2003 से वर्ष 2013 तक उत्तीर्ण अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी। • वर्ष 2003 से वर्ष 2018 तक उत्तीर्ण आर्थिक रुप से कमजोर श्रेणी अभ्यर्थी। • वर्ष 2003 से वर्ष 2015 तक उत्तीर्ण अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी अभ्यर्थी। • वर्ष 2003 से वर्ष 2019 तक उत्तीर्ण अनुसूचित जाति अभ्यर्थी। • वर्ष 2003 से वर्ष 2017 तक उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी। • वर्ष 2003 से वर्ष 2020 तक उत्तीर्ण केवल अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत दिव्यांगजन उपश्रेणी अभ्यर्थी। • वर्ष 2003 से वर्ष 2019 तक उत्तीर्ण केवल अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित उपश्रेणी अभ्यर्थी। • वर्ष 2003 से वर्ष 2022 तक उत्तीर्ण केवल अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत पूर्व सैनिक उपश्रेणी अभ्यर्थी। • वर्ष 2003 से वर्ष 2022 तक उत्तीर्ण केवल अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत उत्तराखण्ड

क्र0 सं0	पदनाम तथा पदकोड	डिप्लोमा/डिग्री उत्तीर्ण वर्ष
		के अनाथ बच्चे उपश्रेणी अभ्यर्थी। ● वर्ष 2003 से वर्ष 2016 तक उत्तीर्ण केवल अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत दिव्यांगजन उपश्रेणी अभ्यर्थी। ● वर्ष 2003 से वर्ष 2018 तक उत्तीर्ण केवल अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित उपश्रेणी अभ्यर्थी। ● वर्ष 2003 से वर्ष 2020 तक उत्तीर्ण केवल अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत पूर्व सैनिक उपश्रेणी अभ्यर्थी। ● वर्ष 2003 से वर्ष 2020 तक उत्तीर्ण केवल अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे उपश्रेणी अभ्यर्थी।
3	नर्सिंग अधिकारी (पुरुष) डिप्लोमाधारक– 103	● वर्ष 2000 से वर्ष 2013 तक उत्तीर्ण अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी ● वर्ष 2000 से वर्ष 2016 तक उत्तीर्ण आर्थिक रुप से कमजोर श्रेणी अभ्यर्थी। ● वर्ष 2000 से वर्ष 2015 तक उत्तीर्ण अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी अभ्यर्थी। ● वर्ष 2000 से वर्ष 2017 अनुसूचित जाति श्रेणी अभ्यर्थी ● वर्ष 2000 से वर्ष 2016 तक उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी। ● वर्ष 2000 से वर्ष 2018 तक उत्तीर्ण केवल अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत दिव्यांगजन उपश्रेणी अभ्यर्थी। ● वर्ष 2000 से वर्ष 2015 तक उत्तीर्ण केवल अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित उपश्रेणी अभ्यर्थी। ● वर्ष 2000 से वर्ष 2022 तक उत्तीर्ण केवल अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत पूर्व सैनिक उपश्रेणी अभ्यर्थी। ● वर्ष 2000 से वर्ष 2021 तक उत्तीर्ण केवल अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत पूर्व सैनिक उपश्रेणी अभ्यर्थी। ● वर्ष 2000 से वर्ष 2018 तक उत्तीर्ण केवल अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत दिव्यांगजन उपश्रेणी अभ्यर्थी। ● वर्ष 2000 से वर्ष 2018 तक उत्तीर्ण केवल अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत पूर्व सैनिक उपश्रेणी अभ्यर्थी।
4	नर्सिंग अधिकारी (पुरुष) डिग्रीधारक– 104	● वर्ष 2008 से वर्ष 2013 तक उत्तीर्ण अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी ● वर्ष 2008 से वर्ष 2017 तक उत्तीर्ण आर्थिक रुप से कमजोर श्रेणी अभ्यर्थी। ● वर्ष 2008 से वर्ष 2015 तक उत्तीर्ण अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी अभ्यर्थी। ● वर्ष 2008 से वर्ष 2019 अनुसूचित जाति श्रेणी अभ्यर्थी ● वर्ष 2008 से वर्ष 2019 तक उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी। ● वर्ष 2008 से वर्ष 2022 तक उत्तीर्ण केवल अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत दिव्यांगजन उपश्रेणी अभ्यर्थी।

क्र0 सं0	पदनाम तथा पदकोड	डिप्लोमा/डिग्री उत्तीर्ण वर्ष
		• वर्ष 2000 से वर्ष 2021 तक उत्तीर्ण केवल अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत पूर्व सैनिक उपश्रेणी अभ्यर्थी। • वर्ष 2008 से वर्ष 2022 तक उत्तीर्ण केवल अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत दिव्यांगजन उपश्रेणी अभ्यर्थी। • वर्ष 2000 से वर्ष 2022 तक उत्तीर्ण केवल अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत पूर्व सैनिक उपश्रेणी अभ्यर्थी।

अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन की तिथि को मूल अभिलेखों के साथ सम्बन्धित अभिलेखों की 02 स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ निम्न अनुक्रम में प्रस्तुत करेंगेः–

1. अभिलेख सत्यापन हेतु जारी किया गया औपबन्धिक प्रवेश पत्र 01 प्रति **(अनिवार्य)**
2. नर्सिंग अधिकारी (महिला/पुरुष) परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन पत्र की 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(अनिवार्य)**
3. 02 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ। **(अनिवार्य)**
4. हाईस्कूल अंकपत्र (अंकतालिका)– 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(अनिवार्य)**
5. हाईस्कूल प्रमाण पत्र– 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(अनिवार्य)**
6. इण्टरमिडिएट अंकपत्र (अंकतालिका)– 02 स्वप्रमाणित प्रति।**(अनिवार्य)**
7. इण्टरमिडिएट प्रमाण पत्र– 02 स्वप्रमाणित प्रति।**(अनिवार्य)**
8. *Diploma in general Nursing and Midwifery/Diploma in general Nursing and Psychiatry/Post Basic B.Sc. Nursing or B.Sc. Nursing Degree* प्रत्येक वर्ष के अंकपत्र/अंकतालिका– 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(अनिवार्य)**
9. *Diploma/Degree* प्रमाण पत्र– 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(अनिवार्य)**
10. उत्तराखण्ड/भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद पंजीकरण का वैध/नवीनीकृत प्रमाण पत्र – 02 स्वप्रमाणित प्रति।**(अनिवार्य)**
11. राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र अथवा प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष तक सेवा का प्रमाण पत्र **(यदि उल्लेख किया हो)**– 02 स्वप्रमाणित प्रति।
12. स्थाई निवास प्रमाण पत्र **(यदि उल्लेख किया हो)** – 02 स्वप्रमाणित प्रति
13. अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के माता–पिता/पति/पत्नी आर्मी/पैरामिलिट्री/केन्द्र अथवा राजकीय विभाग में, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड राज्य से स्थानान्तरण नहीं हो सकती है, कार्यरत हैं सम्बन्धी प्रमाण पत्र **(यदि उल्लेख किया हो)**– 02 स्वप्रमाणित प्रति।
14. आरक्षण का लाभ पाने वाली अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र की 02 स्वप्रमाणित प्रति, जो कि विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक नियमानुसार वैध हो। **(यदि उल्लेख किया हो)**– 02 स्वप्रमाणित प्रति।
15. स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी के आश्रित/पूर्व सैनिक/दिव्यांगजन/उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे सम्बन्धी प्रमाण पत्र की 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(यदि आवेदन पत्र मे ंउल्लेख किया गया है)** – 02 स्वप्रमाणित प्रति।

16. केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन नियमित रुप से कार्यरत अभ्यर्थी को सेवा नियोजक का ''अनापत्ति प्रमाण–पत्र'' की 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(यदि आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है)** – 02 स्वप्रमाणित प्रति।
17. यदि अभ्यर्थी का उपनाम (Surname/Last Name) विवाह के पश्चात् परिवर्तन किया गया है और उसका उल्लेख आवेदन पत्र में किया गया हो, इस सम्बन्ध में विवाह प्रमाण पत्र अथवा रु0 10.00 के नोटराइज शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।– 02 स्वप्रमाणित प्रति।
18. अन्य प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, की 02 स्वप्रमाणित प्रति। **(यदि आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है)**

अभ्यर्थी उक्त अभिलेखों को इसी क्रम में अलग–अलग दो सैट में सत्यापन पटल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे सत्यापन पटल के समक्ष उपरोक्तानुसार इंगित मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के दो अलग–अलग सैट क्रमबद्ध रुप से प्रस्तुत करेंगे। मोबाइल पर प्रस्तुत किये गये कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों के अभिलेखों की छायाप्रति करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी। अभिलेख सत्यापन स्थल पर मात्र अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। अभिलेख सत्यापन स्थल पर बच्चे/बुजुर्ग/परिचित इत्यादि को साथ में लाना सख्त मना है।

ह0/–
(गरिमा रौंकली)
सचिव
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।